

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं. एफ. 11/6/2018-यू.3(ए)

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
यू.3(ए) अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली -01

दिनांक: 1 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मौजूदा सरकारी संस्थाओं का 'प्रतिष्ठित संस्था' के रूप में उन्नयन करने के लिए सरकारी संस्थाओं के लिए यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 जारी किए थे।

2. और जबकि, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे को 'प्रतिष्ठित संस्थान' का दर्जा प्रदान करने के लिए दिनांक 11.12.2007 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया है।

3. और इसके अलावा जबकि, आवेदन को, इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) को सौंपने हेतु यूजीसी को अग्रोषित कर दिया गया था। ईईसी ने संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों साथ ही साथ ईईसी के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर 02.04.2018 को मूल्यांकन किया था।

4. और जबकि, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति ने समग्र मूल्यांकन करने के बाद यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे को प्रतिष्ठित संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुशंसित किया था। यूजीसी द्वारा इसकी 09.07.2018 को आयोजित की गई 533वीं बैठक में अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया।

5. और इसके अलावा, जबकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे का नाम 'प्रतिष्ठित संस्था' के रूप में अभिनिर्धारण करने के लिए दिनांक 23.07.2018 को आदेश जारी किया था। संस्थान से विवरण और मूर्त कार्य योजना, उपलब्धियों और समय सीमा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किए जाने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा

प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिससे संस्थान प्रत्येक मानदंड प्राप्त करना चाहता है जैसा कि इसके आवेदन में अथवा अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष दिए गए अभ्यावेदन में उल्लेख है ताकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे को प्रतिष्ठित संस्थान घोषित करने की अधिसूचना जारी की जा सके।

6. और जबकि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे ने मसौदा समझौता जापन (एमओयू) इस मंत्रालय को 24.09.2018 को प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने इसे यूजीसी को अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखने के लिए उनके विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ भेज दिया था।

7. और जबकि, अध्यक्ष, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 08.10.2018 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के समझौते जापन को अनुमोदित कर दिया था।

8. और जबकि, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन मिलने पर मंत्रालय ने 11.10.2018 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए।

9. अतः अब, केंद्र सरकार, यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे को एतद्वारा इस अधिसूचना के जारी किए जाने से 'प्रतिष्ठित संस्थान' घोषित करती है। यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे संसद के मौजूदा अधिनियम के अनुसार कार्यक्रम जारी रखेगा। तथापि, इस अधिनियम के दायरे के भीतर इसे अतिरिक्त लचीलापन प्रदान किया जाएगा जैसा कि यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 के खंड 6.1 में सूचीबद्ध है।
- (ii) संस्थान को प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किए जाने के वित्तीय वर्ष से पांच वर्षों की अवधि के लिए संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रुपये एक हजार करोड़ अथवा संस्थान की संभावित और विस्तृत योजनाओं की अपेक्षाओं का 50 से 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक होगी। दी जाने वाली सटीक राशि और 50 से 75% के बैंड में सटीक प्रतिशत संस्थान के परिप्रेक्ष्य और विस्तृत योजना प्रस्ताव पर निर्भर करेगी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इसे स्वीकार किया जाएगा।
- (iii) वार्षिक प्रदान की गई राशि संस्थान द्वारा इसकी कार्यान्वयन योजना में भी निर्धारित वित्तीय और भौतिक परिणामों को प्राप्त करने पर निर्भर करेगी। तथापि, यदि संस्थान निधियों को पहले अवशोषित करने की क्षमता दिखाता है और यह अपेक्षित परिणाम प्रदान करने में सक्षम होता है, निधियों को अधिक तीव्र गति से अनुमत किया जाएगा।

- (iv) इन दिशा-निर्देशों के अधीन निधियन मौजूदा निधियन, जिसके लिए वे पात्र हैं, के अतिरिक्त होता होगा।
- (v) इन दिशा-निर्देशों के अधीन प्रदान की गई निधियों का भूमि की खरीदारी करने अथवा भूमि पट्टे पर लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (vi) संस्थान को उद्योग जगत अथवा पूर्व छात्रों अथवा अन्य दानदाताओं से संसाधन जुटाने और इसे किसी प्राधिकरण से अनुमति लिए बिना अपनी कार्यान्वयन योजना के अनुसार उपयोग में लाने की पूरी स्वतंत्रता होगी।
- (vii) अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे की उनकी 15 वर्षीय कार्यनीति योजनाओं के मद्देनजर, अपनी कार्यान्वयन योजनाओं का पालन करने के लिए अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।
- (viii) यह निगरानी और समीक्षा संस्थान के लगातार 2 वर्षों तक अथवा 15 वर्षों तक, जो भी पहले हो, प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में शीर्ष सौ स्थान हासिल करने तक जारी रहेगी। वार्षिक समीक्षा का कार्य, प्रत्येक वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
- (ix) संस्थान प्रत्येक वर्ष अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति को कार्यान्वयन और कार्य नीति योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के संबंध में इस प्रकार जानकारी प्रदान करेगा जैसाकि समिति द्वारा विनिर्धारित किया गया हो।
- (x) प्रतिष्ठित संस्थान अपने कार्यान्वयन और कार्य नीति की योजनाओं से संबंधित सूचना की वार्षिक रिपोर्ट स्वयं करेगा और इसे सार्वजनिक करेगा।
- (xi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे दिशा-निर्देश 4.1 (xviii) के अनुसार इस अधिसूचना के जारी किए जाने से 5 वर्षों के भीतर प्रत्यायन प्राप्त कर लेगा।
- (xii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में गिना जाता रहेगा और अधिसूचना के 5 वर्ष के भीतर यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इंडेक्स में रैंक प्राप्त कर लेगा। यह संस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक प्राप्त करता रहेगा।
- (xiii) यदि संस्थान पांच और इसके बाद के वर्षों के अंत में लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता और कार्यान्वयन योजना से, जैसी अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित की गई है, काफी अधिक विचलन होता है, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करेगी।

शिक्षा रॉय

(ईशिता रॉय)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23381721

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी,

दिल्ली - 110064.

प्रति प्रेषित:-

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। अनुरोध है कि अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के प्रत्येक सदस्य को इस अधिसूचना की प्रतिलिपि प्रदान की जाए।
2. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे ।
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली -110070
4. प्रधान सचिव (तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा), महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई।
5. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संगठन, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली -2.
7. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। यह अनुरोध है कि सीएमआईएस यूनिट को इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करने का अनुदेश दें।
8. गार्ड फाईल/अधिसूचना फाईल।

सुब्रत कुमार प्रधान

(सुब्रत कुमार प्रधान)

उप सचिव, भारत सरकार

No. F.11/6/2018-U3(A)

Government of India

Ministry of Human Resource Development

(Department of Higher Education)

U.3(A) Section

Shastri Bhawan, New Delhi-01,

Dated the 11th October, 2018

NOTIFICATION

Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of existing public Institutions as 'Institutions of Eminence'.

2. **And whereas**, Director, Indian Institute of Technology, Bombay submitted its application on 11.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence' status to Indian Institute of Technology, Bombay.

3. **And further whereas**, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal on 02.04.2018 based on the documents submitted by the Institution as well as the presentations made by it before EEC.

4. **And whereas**, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Indian Institute of Technology, Bombay to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 533rd meeting held on 09.07.2018.

5. **And further whereas**, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 23.07.2018 identifying the name of Indian Institute of Technology, Bombay as 'Institution of Eminence'. The Institution was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring Indian Institute of Technology, Bombay as Institutions of Eminence may be issued.

6. **And whereas**, Indian Institute of Technology, Bombay vide its letter dated 24.09.2018 submitted a copy of draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry and UGC sending the same to EEC for consideration and approval.


7. **And whereas**, the Chairman, EEC, on 08.10.2018, approved the MoU of Indian Institute of Technology, Bombay.

8. **And whereas**, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Indian Institute of Technology, Bombay on 11.10.2018.

9. **Now therefore**, the Central Government, as per the provision of the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017, hereby declare Indian Institute of Technology, Bombay as an 'Institution of Eminence' with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:

- i. Indian Institute of Technology, Bombay will continue to function as per its existing Act of Parliament. However, within the ambit of the Act, it shall be given additional flexibility as listed out in Clause 6.1 of the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017.
- ii. The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.
- iii. The annual release would be dependent on the institution achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan. However, if the Institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an accelerated pace of funding would also be allowed.
- iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.
- v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.
- vi. The Institution would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.
- vii. Indian Institute of Technology, Bombay shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.
- viii. The monitoring and review shall continue till the Institution gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.
- ix. The Institution shall inform the EEC every year on the progress made in realizing the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.
- x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.

- xi. Indian Institute of Technology, Bombay shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).
- xii. Indian Institute of Technology, Bombay shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.
- xiii. If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.



(Ishita Roy)

Joint Secretary to the Government of India
Tel: 23381721

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri,
Delhi - 110064.

Copy forwarded to:-

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi. It is requested to provide a copy of the Notification to each of the members of Empowered Expert Committee.
2. The Director, Indian Institute of Technology, Bombay.
3. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
4. Principal Secretary (Technical & Higher Education), Government of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai.
5. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
7. ✓ Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
8. Guard file / Notification file.



(Subrat Kumar Pradhan)
Deputy Secretary to the Government of India